

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
 महेन्द्रसिंह वगैरा बनाम ग्राम पंचायत 4 एमएल
 विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण सं० 06 / 2018



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
26.04.2018	प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) व धारा 151 सीपीसी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(क) व धारा 151 सीपीसी दर्ज रजिस्टर की जाती है। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11.05.2018 को पेश हो।	25/15
11.05.2018	प्रार्थीगण अधिवक्ता/अप्राधी के मोरु श्री गुरुनारायण सिंह द्वारा पत्रावली नाम प्रस्तुत करके प्रार्थना पत्रावली वास्ते जपु 1 व प्र. पत्रावली दिनांक 18/6/18 के पेश हो	
18/6/18	अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पत्रावली वास्ते जपु 1 व प्र पत्र दिनांक 18/7/18 के पेश हो	
13/7/18	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अप्राधी द्वारा जबाब देलु अदालत चाहा गया, जो सिफ गप। पत्रावली वास्ते जबाब अप्राधी दिनांक 18/7/18 के पेश हो	
7/8/18	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्राधी वास्ते जपु 1 व प्र दिनांक 13/8/18 के पेश हो	
13/8/18	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। जबाब देलु अदालत चाहा गया, जो सिफ गप। पत्रावली वास्ते जबाब उभयपक्ष दिनांक 13/8/18 के पेश हो	


19/1/18

पीलागीन अधिकारी अदकारा भयम पर 5/1/20
कार्य में व्यस्त है। पत्र काशन के अधिभाषक उपस्थित
है। पत्रावली दिनांक 10/1/20 को पेश की।

10/1/2020

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
नहीं। अधिवक्ता प्रार्थी को पृथक-पृथक समय पर
रुक-रुक कर बार-बार कावजे जगाई गई,
लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में
विविध प्रार्थना पत्र अफ़्त धाजरी, कदम पेंची
में खोजी सी जाती हैं। आदेश की प्रति
सम्बन्धित तहसीलदार/ग्राम पंचायत को
पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लगाया
जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर
से कम की जावे व बाद तहसील जिला कमिश्नर
में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।


अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर